पत्रांक : 11/नि2-13/91 (खंड) अंश-III 1549

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग

प्रेषक :

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम
सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक : 14/08/ 2015

विषय : उच्च माध्यमिक कम्प्यूटर शिक्षक एवं संगीत शिक्षक के नियोजन से संबंधित मार्ग-निदेश के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 830 दिनांक 30.04.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि संगीत में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री/समकक्ष उपाधि की समतुल्यता एवं कम्प्यूटर अभ्यर्थियों को नियमावली में प्रावधान के तहत स्नातक स्तर पर ऑनर्स के लिए अतिरिक्त 05 अंक प्रदान करने के संबंध में विभिन्न जिलों द्वारा मार्गदर्शन मांगी गयी थी।

अधिसूचित नियुक्ति नियमावली, 2006 के नियम 5 के प्रावधान के आलोक में एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शैक्षणिक सलाहकर परिषद के परामर्श के आलोक में कम्प्यूटर अभ्यर्थियों के नियोजन के संबंध में निम्न निदेश दिया जाता है :-

1. अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2006 (समय-समय पर संशोधित) के आलोक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। विभागीय पत्रांक 1025 दिनांक 07.07.13 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कम्प्यूटर विज्ञान में विभिन्न अर्हत्ता को निर्दिष्ट किया गया है।
2. उपरोक्त मेधा अंक के निर्धाण की प्रक्रिया में स्नातक प्रतिष्ठा योगयताधारी को 5 अंक अतिरिक्त जोड़ा जाना है। इस संदर्भ में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिया जा रहा है :-

(i) बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईस) तथा बी.ए. कम्प्यूटर Application में (Hons) का प्रावधान है। अतः बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईस) तथा बी.ए. कम्प्यूटर Application में (Hons) अभ्यर्थियों को प्रतिष्ठा के आधार पर 5 अंक अतिरिक्त देय होगा।

(ii) (क) भारत के सभी तकनीकी डिग्री का अनुमोदन AICTE द्वारा प्रदान किया जाता है अर्थात् तकनीकी डिग्री हेतु AICTE का Approval आवश्यक है। MCA Course हेतु निम्नांकित योग्यता AICTE द्वारा निर्धारित है (छाया प्रति संलग्न) :-

MCA is a three year (6 semester) course. The students entering MCA must have a B.C.A./B.Sc./B.Com/B.A. degree with Mathematics as one of the subjects at 10+2 level or at graduation.

(ख) MCA के अर्हत्ताधारी अभ्यर्थियों को कंडिका 02 (ii) "क" में निहित प्रावधान एवं अधिसूचित नियुक्ति नियमावली, 2006 के नियम-5 के आलोक में B.C.A./B.Sc./B.Com/ B.A. (degree) में प्रतिष्ठा होने पर 05 अंक अतिरिक्त देय होगा। साथ ही इन अभ्यर्थियों को स्नातक एवं इंटर स्तर पर गणित विषय होनी चाहिए।

3. अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2012 के नियम 11 उप नियम (iii) में प्रदत्त शक्ति एवं उपरोक्त प्रावधानित अर्हत्ता तथा शैक्षणिक सलाहकर की बैठक के परामर्श के आलोक में निम्न निदेश नियोजन इकाई को दिया जा रहा है :–

(i) कला क्षेत्र फाउडेशन, कला मंडलम केरेला, गांधर्व महाविद्यालय, भारतखण्डे विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय, उत्कल संगीत महाविद्यालय, रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर एवं शान्ति निकेतन बोलपुर (पश्चिम बंगाल) इत्यादि अन्य संस्थाओं से प्राप्त डिग्रियों को वेबसाईट पर देखकर उनके मान्यता के विषय पर निर्णय लिया जाय।

(ii) उल्लेखनीय है कि प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद द्वारा क्रमशः भाष्कर (स्नातक) से उपर एवं विशारद (स्नातक) से उपर की अर्हत्ता/उपाधि के लिए अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं का प्रमाण पत्र की अनिवार्यता है। इससे स्पष्ट है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हीं प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद द्वारा संगीत के लिए निर्दिष्ट उपाधि प्रदान की जाती है।

अतः मैट्रिक के समकक्ष उपाधि को छोड़कर प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद के निम्न उपाधि की मान्यता दी जाती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं COBSE से मान्य बोर्ड द्वारा निर्गत 10वीं के प्रमाण पत्र की मान्यता दी जाय :–

डिग्री	प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़		प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद	
	उपाधि (नाम अंकित किया जाय)	पूर्णांक	उपाधि (नाम अंकित किया जाय)	पूर्णांक
इंटरमीडिएट	संगीत भूषण (3 वर्ष डिप्लोमा) (3 वर्ष कोर्स) 1+2 = 3 वर्ष	150X3 =450	सीनियर डिप्लोमा (4 वर्ष) (4 वर्ष का कोर्स) 2+2 =4	150X4 =600
स्नातक	संगीत विशारद (4 एवं 5 वर्ष) (दो वर्ष का कोर्स)	150+300 =450	संगीत प्रभाकर (दो वर्ष का कोर्स)	150+300 = 450
स्नातकोत्तर	संगीत भाष्कर (6 एवं 7 वर्ष) (दो वर्ष का कोर्स)	400+400 =800	संगीत प्रवीण (7 एवं 8 वर्ष) (दो वर्ष का कोर्स)	500+500 =1000

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा दिये गये निदेश को विलोपित किया जाता है। साथ ही निम्न तिथि को नियोजन की प्रक्रिया संपन्न करने का निदेश दिया जाता है। नियोजन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालय में +2 के अध्यापन की सम्बद्धता के उपरांत कला संकाय अन्तर्गत संगीत विषय का अध्यापन किया जा रहा है :–

क्रमांक	निकाय का नाम	दिनांक
1	नगर निकाय	22.08.2015
2	जिला परिषद्	24.08.2015

विश्वासभाजन,

14/8/15

(आर० के० महाजन)
प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक :– 11/नि2–13/91 (खंड) अंश–III 1549 पटना, दिनांक 14/8/ 2015

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/8/15

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग

F/LetterHindi 01.01.15